न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 33/2015 निर्णय दिनांक 13.12.2019

स्व. नाथूराम पुत्र मंगतूराम 1/1रूक्मणी देवी पत्नी स्व. नाथूराम 1/2 भीखमचन्द 1/3 ओमप्रकाष 1/4 सन्तोष 1/5 शांति 1/6 अशोक 1/7 मोहनी उर्फ निशा 1/8 श्रवणकुमार 1/9 अर्जुनराम 1/10 अंजू 1/11 पिंकी 1/12 निरमा पुत्र पुत्री स्वत्र नाथूराम जाति मेहतर निवासीगण निवासी मोमासर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

बनाम

1. टोडाराम पुत्र नानकराम 2 भंवराराम 3 भगवानाराम पुत्रगण टोडाराम जाट निवासीगण मोमासर तहसील श्री डूँगरगढ

उपस्थित–

1. श्री नारायण पंवार अधिवक्ता वादी की तरफ से ।
2. श्री कैलाश सारस्वत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की तरफ से ।
3. प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही ।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद नाथूराम ने जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि वादी व गौण प्रतिवादी संख्या 5 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1667 तादादी 3.42 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1668 तादादी 2.50 हैक्टयर वाके रोही मोमासर तहसील श्री डूँगरगढ में स्थित है । उक्त दोनों खेत मौका पर एकल है । गौण प्रतिवादी संख्या 5 वादी का पुत्र जो अकसर मजदूरी करने हेतु बाहर रहता है । वादी ने उक्त खेतों में ट्यूब वैल बना रखा है व सिंचित फसलें काष्त करता है । वादी के इन खेतों के पष्चिम तरफ उतर से दक्षिण सडक आम व कटाणी मार्ग गुजरता है । कटाणी मार्ग व सडक के बाद प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1418 स्थित है । वादी के खेत खसरा नम्बर 1667 की पश्चिमी सीमा के बाद सडक मार्ग अलग अलग मौजूद है परन्तु वादी मार्ग पर उक्त सडक के खेत खसरा नम्बर 1668 की पश्चिमी सीमा पर उक्त सडक मार्ग व कटाणी मार्ग आपस में मिल जाते है । उक्त सडक मार्ग व कटाणी है जो आपस में मिले हुए है । प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1418 के पूर्वी तरफ की सीमा के पास पास गुजरते है । प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है जो आपस में मिले हुए है व सडक मार्ग व कटाणी मार्ग को वादी के खेत खसरा नम्बर 1668 में कायम करना चाहते है । प्रतिवादीगण राजनैतिक प्रभावषाली व धनाढय व्यक्ति है प्रतिवादीगण गलत रूप से जबरदस्ती वादी के खेत खसरा नम्बर 1668 की पष्चिमी सींव को नष्ट करने, फसल को खुर्द बुर्द कर नुकसान पहुंचाने वादी के खेत में से रास्ता कायम करने की कुचेष्टा में है। वादी अपने खेत की रक्षार्थ माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त दावा चिरनिषेधाज्ञा के अनुतोष प्राप्ति का प्रस्तुत कर रहा है । गौण प्रतिवादी संख्या 5 खेत खसरा नम्बर 1667 व 1668 का वादी के साथ संयुक्त खातेदार होने से पक्षकार संयोजित किया गया है, इनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है । अतः दावा पेश कर निवेदन किया है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावें –

Scanned by CamScanner

(क) प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि वो वादी क संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 1668 तादादी 2.50 हैक्टयर वाके रोही मोमासर तहसील श्री डूँगरगढ स्थित खसरा नम्बर भूमि की पश्चिमी सीमा को नहीं काटे, ना फसल को नुकसान पहुँचाये, ना कोई रास्ता कायम करें ना खेत में नाजायज रूप से प्रवेष करें ना वादी के कब्जा काष्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से कोई दखलअन्दाजी पैदा करें ना ही कोई ऐसा कृत्य या अपकृत्य करें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पडता हों ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीसंख्या 1 से 15 के सम्मन तामिल होन के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु दिनांक 6.11.2019 को हिदायत पैरवी नहीं होने से पैरवी करने से इंकार किया । प्रतिवादी संख्या 6 की तरफ से इकबालिया जबाब पेष किया ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 सम्मन तामिल होन के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु दिनांक 6.11.2019 को हिदायत पैरवी नहीं होने से पैरवी करने से इंकार किया । प्रतिवादी संख्या 6 की तरफ से इकबालिया जबाब पेष किया ।

वाद के बीच में वादी का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके स्थान पर उनके जायज वारिसान 1/1 से 1/12 को पक्षकार बनाया जाकर बहस इकतरफा सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । बहस पर मनन किया गया । वादी वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काष्त के खेत खसरा नम्बर 1668 तादादी 2.50 हैक्टयर वाके रोही मोमासर तहसील श्री डूँगरगढ स्थित खसरा नम्बर भूमि की पष्चिमी सीमा को वादी के कब्जा काष्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से कोई दखलअन्दाजी पैदा करें ना ही कोई ऐसा कृत्य या अपकृत्य करें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पडता हों । राज्य सरकार रास्ता निकालने हेतु स्वतंत्र है । डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय बाद दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुना गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

Scanned by CamScanner